(374)

समक्ष: न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर , म.प्र.

I/निगरानी/पन्ना/भू.रा/2017/1777

निगरानी प्रकरण क्र.........

श्रीमती पन्नी बाई पत्नी स्व. श्री रज्जन लोधी,
निवासी ग्राम हरदुआ, रावजू , तहसील रैपुरा ,
जिला पन्ना म.प्र.

----- अनावेदिका/क्रमांक 1 /
आवेदिका

श्री मुकेश भार्गव द्वारा आज दि. 16.6.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.6.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. प्रेम लाल वल्द स्व. फुल्ला लोधी,
निवासी ग्राम हरदुआ रावजू तहसील रैपुरा जिला पन्ना

---- आवेदक/अनावेदक

मुकेश भार्गव
16.6.17 एडवोकेट
ग्वालियर

2. भगवान दास पिता फुल्ला लोधी उम्र लग. 57 साल,
3. भागचन्द पिता फुल्ला लोधी उम्र लग. 55 साल
4. सुन्दर बाई पिता फुल्ला लोधी उम्र लग. 72 साल,
5. पूरन लाल पिता हल्ली लोधी उम्र लग. 73 साल,
सभी निवासी ग्राम हरदुआ रावजू , तहसील रैपुरा
जिला पन्ना म.प्र.

----अनावेदक गण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता के तहत

आवेदिका की ओर से निवेदन है कि -

यह कि माननीय न्यायालय के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर जिला पन्ना म.प्र. द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/अ-5 /2016-2017 पक्षकार प्रेम लाल लोधी विरुद्ध श्रीमती पन्नी बाई वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.5.2017 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदिका अनावेदकगणो के विरुद्ध प्रस्तुत करती है :-

(2)

यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/निगरानी/पन्ना/भू0रा0/2017/1777

पन्नी बाई विरूद्ध प्रेमलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–2–2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पन्ना जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 01/अ–5/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19–5–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/2/2019 (आर0के0 जैन) सदस्य	